

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-5/9908/2016-17/86 दिनांक:- 15/5/16

व.उ.जि.शि.अ.  
जयपुर पश्चिम।

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा-

विषय:- चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके मांग पत्र के क्रम में मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 101-राजकीय प्राथमिक विद्यालय, (01)-बालको के लिए उ.प्रा.वि. [00]-सामान्य व्यय, 04-चिकित्सा व्यय (आयोजना भिन्न व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निम्नानुसार कार्यालय को गम्भीर रोग से ग्रसित कर्मिकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जाये।

क्र.स.	IFMS UID CODE	कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1581	जि.शि.अ.प्रा.शि भीलवाड़ा	63711	श्री जगदीश प्रसाद सामरिया शाशि. राउप्रावि मोपालगंज के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 40000/- व श्री गोविन्दरुवरुप पाठक शाशि. राउप्रावि न.1 के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 23711/-
2.	1584	जि.शि.अ.प्रा.शि उदयपुर	309662	श्री अहमद हुसैन स.कर्मचारी के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 116457/- (संलग्न मूल परमावश्यक प्रमाण पत्र) व श्री देवेन्द्र सिंह राव अ. राउप्रावि आयड के किडनी रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 193205/-
3.	1696	व.उ.जि.शि.अ. जयपुर पश्चिम	26601	स्व. श्रीमती रीताबाला चौधरी अ. राउप्रावि घेर साईवाड के गुर्दा प्रत्यारोपण रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	399974	

(अंके रूपये तीन लाख निनयानवे हजार नो सौ चोहतर मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।

  
लेखाधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. संबंधित कर्मिक श्री/श्रीमती .....
5. रक्षित पत्रावली।

  
लेखाधिकारी